कार्यवाही | नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन कब्जा मुक्त

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की बेशकीमती सरकारी भूमि पर जमे अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा मुक्त कराया है। संभाग क्रमांक 13 के संभागीय अधिकारी सागर बोरकर एवं संपदा शाखा के उपयंत्री प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि राइट टाउन चंचला बाई स्कूल स्थित शहर के मुख्य और पॉश क्षेत्र में स्थित नगर निगम स्वामित्व की लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की बेशकीमती भूमि व भवन को पूरी तरह से कब्जेधारी से कब्जा मुक्त कराकर वहां तालाबंदी कर दी गई है। राइट टाउन स्थित चंचला बाई स्कूल पानी की टंकी के पास डायवर्सन प्लाट नं. 440, डायवर्सन शीट नं. 152 सी का एक बड़ा हिस्सा नगर निगम के स्वामित्व में दर्ज है।

लॉ कॉलेज के नाम से अवैध रूप से कब्जा जमा लिया

इस परिसर में पूर्व में कस्तूरबा स्कूल का संचालन किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से नियमों को ताक पर रखकर इस बहुमूल्य सरकारी संपत्ति पर लॉ कॉलेज के नाम से अवैध रूप से कब्जा जमा लिया गया था। सरकारी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिस पर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुँची। बिना किसी दबाव के टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में लिया और मुख्य द्वारों पर तालाबंदी की गयी।

अवैध कारोबार से जुडे मामले के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस रामकुमार चौबे की एकलपीठ ने एक मामले में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों की जांच को प्रारंभिक स्तर पर बाधित नहीं किया जा सकता। उक्त मत के साथ न्यायालय ने अवैध कारोबार से जुडे आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामला पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टपरे में अवैध शराब का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी बल्लू उर्फ रामपाल यादव ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने राहत की मांग की, जबकि राज्य की ओर से इसका विरोध किया गया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने का आधार न पाते हुए दायर अर्जी निरस्त कर दी।

अधिकार क्षेत्र से बाहर दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

अवैध कालोनी विकास मामले में कलेक्टर-एसडीएम के आदेशों का प्रभाव स्थगित

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा है कि कानून जिन शक्तियों को न्यायालय के लिए सुरक्षित रखता है, उनका प्रयोग प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकते। जिस पर इस सिद्धांत से जुड़े मामले में कथित अवैध कालोनाइजेशन प्रकरण में पारित कलेक्टर एवं एसडीएम के आदेशों के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाती है। एकलपीठ ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह मामला छिंदवाड़ा निवासी जितेन्द्र चोरे की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता सौरभ शर्मा व विकास संतू ने पक्ष रखा। जिन्होंने तर्क दिया कि मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत अनधिकृत कालोनी के मामलों में निर्माण हटाने तथा डेवलपर व भूमि स्वामी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का प्राविधान है, जबकि दंड और जुर्माना लगाने का अधिकार सक्षम न्यायालय के पास है। याचिका में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-सी का हवाला देते हुए कहा गया कि अवैध कॉलोनाइजेशन के अपराध में सजा और अर्थदंड न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसे में कलेक्टर और एसडीएम द्वारा की गई कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से परे है। याचिकाकर्ता ने इसी प्रकार के पूर्व प्रकरण में दी गई अंतरिम राहत का भी उल्लेख किया। जिसके बाद न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए विवादित आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य शासन को जवाब तथा आवश्यक होने पर स्थगन निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है।

आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा को झटका

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की 60 दिन की अस्थायी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में उनकी पत्नी की स्थिति को लेकर कोई इमरजेंसी नहीं बतायी गई, इतना ही नहीं देखभाल के लिये परिवार के अन्य सदस्य भी उपलब्ध है। जिसके बाद न्यायालय ने दायर अर्जी खारिज कर दी। दरअसल सौरभ शर्मा ने पत्नी दिव्या की प्रस्तावित सर्जरी और दो नाबालिग बच्चों की देखभाल का हवाला देते हुए 60 दिन की अस्थायी जमानत मांगी गई थी। याचिका में कहा गया है कि पत्नी दिव्या तिवारी को साइनस की सर्जरी कराना है और ऑपरेशन के दौरान उनकी देखभाल के लिए परिवार कोई अन्य जिम्मेदार सदस्य नहीं है, पति की उपस्थिति आवश्यक है।

6 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस, 1 का लाइसेंस निरस्त

नशीली दवाओं और एबॉर्शन किट के रिकॉर्ड में मिली भारी हेरफेर

जबलपुर। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़ने और दवा दुकानों पर मची मनमानी को रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर दी जिसके बाद हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान नशीली दवाओं और एबॉर्शन किट के रिकॉर्ड में भारी हेरफेर भी मिली। ड्रग इंस्पेक्टर ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 6 नामचीन मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस थमाया है, जबकि हेराफेरी सामने आने के बाद 1 मेडिकल स्टोर का रिटेल ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

इन मेडिकल स्टोर्स पर गिरी गाज

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तय नियमों और प्रावधानों का खुला उल्लंघन करने पर मैसर्स आर. पी. मेडिकोज, भेड़ाघाटमैसर्स न्यू गंगा मेडिकोज, राइट टाउनसंजीवनी मेडिकल, भेड़ाघाटमैसर्स आयुष ड्रग स्टोर, बिजौरीमोही डिस्ट्रीब्यूटर्स, घमापुर विक्रांत इंटरप्राइजेस, दवा बाजार (सिविक सेंटर) को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साफ चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला, तो इन सभी दुकानों के भी लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड या कैंसिल कर दिए जाएंगे।

गड़बड़झाले के साथ बिना फार्मासिस्ट बिक रही थीं दवाएं

गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नगर पंडा की मढ़िया के पास स्थित मैसर्स न्यू गुरुकृपा मेडिकल दुकान क्रं. 3187/4 पर जब ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने अचानक छापा मारा, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। दुकान से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट गायब थे और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से दवाएं बेची जा रही थीं। मेडिकल संचालक टीम को कोई भी ठोस दलील या स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसके बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत उक्त दुकान का फुटकर औषधि विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दुकान को बंद करा दिया गया है। जांच में पाया गया कि नियमों को ताक पर रखकर बिना योग्य फार्मासिस्ट के धड़ल्ले से पर्चे वाली दवाएं बांटी जा रही थीं।

आदिवासी विभाग में प्रभार को लेकर विवाद

नवभारत, जबलपुर। जनजातीय कार्य विभाग में छात्रावासों के अतिरिक्त प्रभार सौंपने में भारी अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। हाल ही में जारी आदेश के तहत शाहपुरा ब्लॉक के घाट पिपरिया में पदस्थ नेहा दवे को 50 किलोमीटर दूर पनागर के रिठौरी आदिवासी कन्या छात्रावास का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, जबकि ट्रांसफर नीति में अधीक्षकों की नई पदस्थापना पर रोक है और 24 घंटे मुख्यालय में निवास का नियम है। इस आदेश को अव्यवहारिक मानते हुए संभागीय उपायुक्त ने इस पर रोक लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी, इसके बावजूद पूर्व सहायक आयुक्त सी.के. दुबे द्वारा सेवानिवृत्ति से पहले जारी किए गए इस आदेश पर जिला कार्यालय द्वारा वरिष्ठों की अनदेखी कर अमल कराया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जून को विवाद की स्थिति उस समय और बढ़ गई जब एकतरफा चार्ज लेने कुछ पुरुषों के साथ पहुंची नेहा दवे का सामना वर्तमान अधीक्षिका अन्नपूर्णा महोबिया से हुआ।

अधीक्षिका अस्पताल में भर्ती

चार्ज लेने की प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों में बातचीत होने के समय वर्तमान अधीक्षिका अन्नपूर्णा महोबिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें रांझी अस्पताल में भर्ती कराया। ज्ञात हो कि यह आदेश हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सहायक आयुक्त सी.के. दुबे ने जारी किए थे, जिनके विदाई अवसर पर छात्रों ने बेशरम के फूल भेंट किए थे। वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना कर लगातार अधीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की इस एकतरफा कार्रवाई से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दान पेटी से 95 लाख के आभूषण मिले

जबलपुर। तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर की चल एवं अचल संपत्तियों के सर्वेक्षण, सत्यापन, सूचीकरण एवं अभिलेखीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोरखपुर अनुराग सिंह के आदेश पर गठित समिति द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षित रखी गई सीलबंद पेटी को नियमानुसार खोला उसमें रखे स्वर्ण एवं रजत आभूषणों सहित अन्य सामग्री का भौतिक सत्यापन और सूचीकरण किया गया। पूरी प्रक्रिया समिति के सदस्यों की उपस्थिति में पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरीके से संपन्न कराई गई। सत्यापन में पेटी से लगभग 26.17 किलोग्राम चांदी तथा करीब 200 ग्राम स्वर्ण आभूषण एवं सामग्री प्राप्त हुई। इनका विस्तृत विवरण तैयार कर अभिलेखों में दर्ज किया गया। तथा सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई की गई। प्राप्त संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 95 लाख रुपये आंका गया है।

रेलवे स्काउट-गाइड दल अमरकंटक रवाना

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम रेल भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य मुख्यालय जबलपुर के मार्गदर्शन में जबलपुर मंडल की वार्षिक हाइक आयोजन अमरकंटक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेट ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर खोदरी में 12 से 14 जून तक किया जा रहा है।

जिसमें जबलपुर रेल मंडल से 90 सदस्यीय दल रवाना हुआ राज्य मुख्यालय, जबलपुर के राज्य सचिव उप मुख्य सतर्कता अधिकारी इंज़ी. सौरभ कुमार, सहा.जिला आयुक्त(स्काउट) सहायक कार्मिक अधिकारी(कल्याण) शचीपति नंदन, राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट) रंजन कुमार सिंह, जिला सचिव अनिल कुमार चौबे के नेतृत्व में जबलपुर मंडल के लगभग 90 सदस्य इस जिला हाइक में शामिल होने रवााना हुए। इस हाइक में जबलपुर के सदस्यों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेट ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर खोदरी एवं अमरकंटक के सभी पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा, साथ ही वहां स्काउट्स-गाइड्स की गतिविधियां कराई जायेंगी।

जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल की समय सारिणी होगी परिवर्तित

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली गाड़ी संख्या 02198/02197 जबलपुर-कोयंबटूर-जबलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का मानसून के दौरान कोंकण रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्टेशनों के समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तित मानसून समय सारिणी का संचालन 19 जून से प्रत्येक शुक्रवार को जबलपुर से तथा 15 जून से प्रत्येक सोमवार को कोयंबटूर से किया जायेगा। मानसून के दौरान यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खण्डवा, भुसावल, नासिक रोड, पनवेल एवं रोहा स्टेशनों की समय सारिणी यथावत रहेगी। लेकिन कोंकण रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाले दोनों दिशाओं के खेड़, चिपलुन, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल, थीवम, मडगाव जंक्शन, कारवार, कुमटा, मूकाम्बिका रोड, कुन्दापुरा, उडुपी, मुल्की, मंगलुरु जंक्शन, कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, कोजीकोड, तिरूर, शोरनूर जंक्शन, पालक्काड जंक्शन (पालघाट) एवं कोयंबटूर जंक्शन रेलवे स्टेशनों के समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

फर्जी अंकसूची पर एफआईआर के आदेश को अवैध नहीं ठहरा सकते

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि दस्तावेज की सत्यता का परीक्षण सक्षम संस्थान द्वारा किया जा चुका है और वह फर्जी पाया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने से भी कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं होगा। यदि आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार अग्रिम जमानत सहित अन्य वैधानिक उपाय अपनाने स्वतंत्र है। उक्त मत के साथ न्यायालय ने दायर याचिका खारिज कर दी। यह मामला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में कथित फर्जी 12 वीं की अंकसूची प्रस्तुत करने के आरोप से जुड़ा था। न्यायालय ने कहा कि संबंधित संस्थान के सत्यापन में दस्तावेज जारी ही नहीं होना पाया गया है, ऐसे में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल टीकमगढ़ जिले की ममता यादव ने याचिका दायर कर 26 मई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अधिकारियों को उनके खिलाफ सात दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे।

धूल भरी आंधी के बाद झूमकर बरसे बदरा

जबलपुर। शहर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से जहां तीखी और चटक धूप के कारण लोग उमस और भीषण गर्मी से बेहाल थे, वहीं दोपहर तीन बजे के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। देखते ही देखते आसमान में बादलों का डेरा जमा हो गया और शहर धूल भरी तेज आंधी की आगोश में समा गया। दोपहर तीन बजे के बाद अचानक चली तेज हवाओं के कारण सड़कों पर धूल का ऐसा गुबार उठा कि दृश्यता बेहद कम हो गई। कई वाहन चालक सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो गए। इसके साथ ही बिजली गुल हो गई और मेघा बरस पड़े। रात में भी रूककर-रूक कर बारिश का दौर चलता रहा। जिससे ठंडक घुल गई। मौसम विभाग की माने तो दो हफ्ते तक वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही 13 से 15 जून तक दिन का तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

ओले गिरने, आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आद्रता 52 और शाम को 76 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिमी हवाएं चली। मौसम विभाग की माने तो चौबीस घंटे के भीतर 40 से 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, ओले गिरने की संभावना है।

प्रतिक्रिया | नारी सम्मान पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर दी तीखी प्रतिक्रिया, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने का मामला

नारी सम्मान का मुद्दा बनाने का कर रही कांग्रेस प्रयास : अश्विनी

नवभारत, जबलपुर। राज्यसभा निर्वाचन में मध्यप्रदेश की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद कांग्रेस, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने को 'नारी सम्मान' का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि यह मामला किसी महिला के साथ अन्याय का नहीं, बल्कि नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का है। यह मामला एक महिला नेत्री के द्वारा एक महिला कार्यकर्ता के साथ हो रहे अपराधों पर चुप्पी साधने का है, यह मामला एक महिला प्रत्याशी को हराने के लिए मध्यप्रदेश की सभी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किए षड्यंत्र का है, यह मामला कांग्रेस के नकारेपन और उसकी नाकामी का है। यह सारी बातें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी पराँजपे ने नारी सम्मान पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर दी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा कार्यालय रानीताल में कहीं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी श्रीकान्त साहू, महिला मोर्चा जबलपुर महानगर की अध्यक्ष आत्मीका सिंह उपस्थित थी।

झूठ, दिखावे की राजनीति अधिक समय तक नहीं चलती

इस मौके पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पराँजपे ने ये भी कहा कि झूठ और दिखावे की राजनीति अधिक समय तक नहीं चलती। कांग्रेस को नारी सम्मान पर राजनीतिक नाटक करने के बजाय देश और प्रदेश की महिलाओं को यह बताना चाहिए कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई। यही कारण है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना केवल एक चुनावी घटना नहीं, बल्कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र, उसकी जवाबदेही और महिला सम्मान के प्रति उसके वास्तविक दृष्टिकोण पर गंभीर प्रश्नचिह्न है।

टिकट चेकिंग से 16 करोड़ 82 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशानुसार तीनों मंडलों में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारियों के नेतृत्व में यात्री गाड़ियों एवं स्टेशनों पर समय-समय पर टिकट जांच अभियान चलाए गए। इन अभियानों के परिणामस्वरूप पश्चिम मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष के मई 2026 में अनबुक्ड लगेज, बिना टिकट यात्रा तथा अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले कुल 2 लाख 7 हजार मामलें पकड़े गए जिनसे अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना सहित कुल 16 करोड़ 82 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57